



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271801  
CG-DL-E-15042026-271801

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1822]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948

No. 1822]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

का.आ. 1891(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के हनमकोंडा जिले में NH-353C के कि.मी. 92.000 से कि.मी. 108.556 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् आरडीओ परकाल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

तेलंगाना राज्य के हनमकोंडा जिले में NH-353C के कि.मी. 92.000 से कि.मी.108.556 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: हनमकोंडा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: (परकाल)					
गांव का नाम: परकाल					
1	200	निजी	गैर कृषि भूमि (पट्टा हाउस)	7.74 (वर्ग मीटर)	0.000774
2	205	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	25.78 (वर्ग मीटर)	0.002578
3	207	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	60.25 (वर्ग मीटर)	0.006025
4	214	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	118 (वर्ग मीटर)	0.0118
5	216	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	50.25 (वर्ग मीटर)	0.005025
6	217	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	4 (वर्ग मीटर)	0.0004
7	230	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	224.08 (वर्ग मीटर)	0.022408
8	231	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	15.11 (वर्ग मीटर)	0.001511
9	256	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	767 (वर्ग मीटर)	0.0767
10	257	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	154 (वर्ग मीटर)	0.0154
11	259	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	40 (वर्ग मीटर)	0.004
12	301	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	353 (वर्ग मीटर)	0.0353
13	302	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	76 (वर्ग मीटर)	0.0076
14	877	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	445.57 (वर्ग मीटर)	0.044557
15	878	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	513 (वर्ग मीटर)	0.0513
16	879	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	593 (वर्ग मीटर)	0.0593
17	886	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	125.11 (वर्ग मीटर)	0.012511
तालुक का नाम: (शयमपेट)					
गांव का नाम: ताहरपुर					
18	103/54	सरकारी	कृषि भूमि (सूखा) (एसाइन्ड)	50.59 (वर्ग मीटर)	0.005059
19	103/55	सरकारी	कृषि भूमि (सूखा) (एसाइन्ड)	177.06 (वर्ग मीटर)	0.017706
20	103/56	सरकारी	कृषि भूमि (सूखा)	354.11 (वर्ग मीटर)	0.035411

			(एसाइन्ड)		
21	103/62	सरकारी	कृषि भूमि (सूखा) (एसाइन्ड)	303.53 (वर्ग मीटर)	0.030353
22	103/63	सरकारी	कृषि भूमि (सूखा) (एसाइन्ड)	303.53 (वर्ग मीटर)	0.030353
23	103/64	सरकारी	कृषि भूमि (सूखा) (एसाइन्ड)	50.59 (वर्ग मीटर)	0.005059
<b>गांव का नाम: सिंगारम (कोथागत्तु)</b>					
24	78	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	82.24 (वर्ग मीटर)	0.008224
25	87	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	910.58 (वर्ग मीटर)	0.091058
26	88	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	1922.33 (वर्ग मीटर)	0.192233
27	92	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	2124.68 (वर्ग मीटर)	0.212468
28	93	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	3869.94 (वर्ग मीटर)	0.386994
<b>तालुक का नाम: (आत्मकूर)</b>					
<b>गांव का नाम: कोथागत्तु</b>					
29	149	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	21.08 (वर्ग मीटर)	0.002108
30	150	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	10.34 (वर्ग मीटर)	0.001034
31	155	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	27 (वर्ग मीटर)	0.0027
32	156	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	53 (वर्ग मीटर)	0.0053
33	161	निजी	कृषि भूमि (सूखा) (पट्टा)	14 (वर्ग मीटर)	0.0014
<b>Total</b>					<b>1.384649</b>

[फा. सं. DB/D1/EE/R&amp;B//NHW/2024-25/34 Dt. 25.04.2024/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th April, 2026

**S.O. 1891(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for **building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-353C in the stretch of land from Km.92.000 to Km.108.556 in the district of HANAMKONDA in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.**

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, RDO Parkal in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-353C in the stretch of land from Km. 92.000 to Km. 108.556 in the district of HANAMKONDA in the state of TELANGANA.**

State: TELANGANA			District: Hanamkonda		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Parkal</b>					
<b>Village: Parkal</b>					
1	200	Private	Non Agriculture (Patta houses)	7.74 (Square Meter)	0.000774
2	205	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	25.78 (Square Meter)	0.002578
3	207	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	60.25 (Square Meter)	0.006025
4	214	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	118 (Square Meter)	0.0118
5	216	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	50.25 (Square Meter)	0.005025
6	217	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	4 (Square Meter)	0.0004
7	230	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	224.08 (Square Meter)	0.022408
8	231	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	15.11 (Square Meter)	0.001511
9	256	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	767 (Square Meter)	0.0767
10	257	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	154 (Square Meter)	0.0154
11	259	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	40 (Square Meter)	0.004
12	301	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	353 (Square Meter)	0.0353
13	302	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	76 (Square Meter)	0.0076
14	877	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	445.57 (Square Meter)	0.044557
15	878	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	513 (Square Meter)	0.0513
16	879	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	593 (Square Meter)	0.0593
17	886	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	125.11 (Square Meter)	0.012511
<b>Taluk: Shayampet</b>					
<b>Village: Taharapur</b>					
18	103/54	Government	Agriculture (Dry) (Assigned)	50.59 (Square Meter)	0.005059
19	103/55	Government	Agriculture(Dry) (Assigned)	177.06 (Square Meter)	0.017706
20	103/56	Government	Agriculture (Dry) (Assigned)	354.11 (Square Meter)	0.035411
21	103/62	Government	Agriculture (Dry) (Assigned)	303.53 (Square Meter)	0.030353
22	103/63	Government	Agriculture (Dry) (Assigned)	303.53 (Square Meter)	0.030353
23	103/64	Government	Agriculture (Dry) (Assigned)	50.59 (Square Meter)	0.005059
<b>Village: Singaram (Kothagattu)</b>					
24	78	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	82.24 (Square Meter)	0.008224
25	87	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	910.58 (Square Meter)	0.091058

26	88	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	1922.33 (Square Meter)	0.192233
27	92	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	2124.68 (Square Meter)	0.212468
28	93	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	3869.94 (Square Meter)	0.386994
<b>Taluk: Atmakur</b>					
<b>Village: Kothagattu</b>					
29	149	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	21.08 (Square Meter)	0.002108
30	150	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	10.34 (Square Meter)	0.001034
31	155	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	27 (Square Meter)	0.0027
32	156	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	53 (Square Meter)	0.0053
33	161	Private	Agriculture (Dry) (Patta)	14 (Square Meter)	0.0014
<b>Total</b>					<b>1.384649</b>

[F. No. DB/D1/EE/R&amp;B/NHW/2024-25/34 Dt. 25.04.2024/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director